

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक(सदस्य सचिव)
सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र,
प्रीत विहार- नई दिल्ली

पत्रांक: शि0स0/एन0ओ0सी0/

/2010-11 दिनोंक 26-4-2010

विषय: दिल्ली पब्लिक स्कूल, देहली रोड (सहारनपुर) को सी0बी0एस0ई0-नई दिल्ली से
सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल, देहली रोड (सहारनपुर) को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र भेजे जाने में तदनिमित्त गठित मण्डलीय समिति को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी तथा सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, नई दिल्ली/कारुनिसल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली सम्बद्धता प्राप्त होने की दशा में पूर्व से अन्य परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।
- 5- संस्था को उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा पूर्व से मान्यता प्राप्त होने के सम्बन्ध में यदि कोई तथ्य छिपाया गया हो तो यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 6- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।
- 7- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति के लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।
- 8- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी।
- 9- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजीकाओं में रखा जायेगा।



(2)

- 10- विद्यालय प्रांगण को पूर्णरूपेण निरापद बनाने हेतु अन्दर की ओर एक दूसरी बाऊण्ड्री वाल इस प्रकार बनायी जायेगी कि विद्यार्थिगण एवं अन्य की पहुंच से वह क्षेत्र बाहर हो जाये जो कि विद्युत लाईन के प्रभाव में है। उपरोक्त दीवार का निर्माण जून 2010 के अन्त तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा। अन्यथा कि स्थिति में प्रदत्त किया जा रहा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त समझा जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व यथास्थिति विद्यालय प्रधानाचार्या/ प्रबन्ध तन्त्र का होगा
- 11- विद्यालय द्वारा प्रस्तावित भूमि/भवन में ही विद्यालय संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है, अन्यत्र किसी भी भूमि/भवन में संचालित होने वाले विद्यालय अथवा शाखा हेतु उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- 12- उक्त शर्तों में मण्डलीय समिति/राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
- (2) उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती गयी है तो मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(श्रीमती)कमला सिंह चौहान
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।/
सदस्य सचिव, मण्डलीय समिति।

पृष्ठ: शिक्षा/एनओसी/ 5१०-१४

/2010-11 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7, लखनऊ।
- 2- शिक्षा निदेशक(मा), उत्तर प्रदेश, 18-पार्क रोड, लखनऊ।
- 3- आयुक्त(अध्यक्ष मण्डलीय समिति) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
- 4- जिलाधिकारी(सदस्य, मण्डलीय समिति) सहारनपुर।
- 5- जिला विद्यालय निरीक्षक(सदस्य मण्डलीय समिति) सहारनपुर।
- 6- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 7- प्रबन्धक, दिल्ली पब्लिक स्कूल, देहली रोड(सहारनपुर)।
- 8- सम्बन्धित पत्रावली पर।

(श्रीमती)कमला सिंह चौहान

संयुक्त शिक्षा निदेशक,

सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।/
सदस्य सचिव, मण्डलीय समिति